



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम - मिनीरत्न कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला - श्रीगंगानगर - 335804 (राज.)
फोन नं. 01509-220084, 220309

**NATIONAL SEEDS CORPORATION
LIMITED**

(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
Website: www.indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM - SURATGARH

District- Sriganganagar - 335804 (Raj.)

PHONES : 01509- 220084, 220309 (Office) Tele-Fax: - 01509- 223877
e-mail - csfsgmkg@gmail.com

क्रमांक: सीएसएफ/एसओजी/10-2/विपणन/2015-16-12/
खुली - निविदा

दिनांक: 28.1.2016
२९

कृषि रसायन विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ को निम्न कृषि रसायनों की आवश्यकता है जिनकी दरें मोहरबन्द लिफाफे में दिनांक 19.2.2016 को दोपहर 2.00 बजे तक निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर को प्रेषित करें। जो उसी दिन दोपहर 3.00 बजे समिति के द्वारा खोली जायेगी। निविदा के साथ धरोहर राशि रुपये 50000.00 (रुपये पचास हजार मात्र) का बैंक ड्रॉफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, सूरतगढ़ (IFSC Code No: SBIN0007774) पर देय हो, निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। निविदा सम्बन्धी जानकारी निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है।

S.NO.	Name of Agrochemicals	Unit	Required Qty.
1	Copper Oxychloride 50% WP (COC)	Kg.	300.00
2	Deltamethrin 2.5% WP	Kg.	290.00
3	Indoxacarb 14.5% SC	Ltrs.	1370.00
4	Spinosad 45% SC	Ltrs.	130.00
5	Sulphar 80 % W.P.	Kg.	48.00

निविदा की नियम व शर्तें :-

1. कीटनाशी रसायन आईएसआई अथवा आईएसओ ब्राण्डेड मार्का होना चाहिए।
2. निविदा में रसायन का नाम, कम्पनी का नाम, आईएसआई, आईएसओ मार्क रसायन है का ब्यौरा लिखना अति आवश्यक है।
3. सभी रसायन की दर प्रति लीटर/किलोग्राम समस्त कर सहित देनी होगी।
4. रसायनों की समस्त आपूर्ति, आपूर्ति आदेश प्राप्ति के तुरन्त पश्चात 3-4 दिन में केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के गोदाम पर करनी होगी।
5. रसायनों की जाँच मान्यता प्राप्त कीटनाशी प्रयोगशाला में भेजकर कराई जायेगी। जिसका नमूना केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ पर फार्म समिति व फर्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में लिया जायेगा। इसका जाँच खर्च सम्बन्धित, फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
6. प्रयोगशाला द्वारा जाँच के उपरान्त नमूना मानक स्तर का घोषित होने के उपरान्त फार्म द्वारा 15 दिन के अन्दर जाँच खर्च काटकर भुगतान कर दिया जायेगा।
7. अपूर्ण निविदा होने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
8. निविदादाता को पेन नम्बर की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
8. निविदादाता द्वारा निविदा में दी गई कोई भी नियम व शर्त फार्म को मान्य नहीं होगी।
9. रसायनों की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
10. रसायन जाँच में अमानक स्तर का घोषित होने पर, सम्बन्धित फर्म, जाँच खर्च फार्म में जमा करवाकर पूरा अमानक रसायन अपने स्वयं के खर्च पर वापिस ले जायेगी।

व. विपणन अधिकारी
कृते निदेशक